

19.04.18

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री बालाराम ने यह प्रार्थना पत्र /वाद/अपील धारा 188,91 आर.टी.एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम /भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी/ रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जबाब हेतु कोर्ट कैम्प झाफली कलां दिनांक 06.06.2018 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.एम.),शिव

6.6.18

पत्रावली का जवाब देना मंजूर
कलमा पेश हुई। उक्त पक्ष
उप.। उक्त पक्ष को श्वरु मॉन
विरान खाला देना भी गज।
उक्त पक्ष बाद लोकर अदालत
की जावना से इस बात पर
सहमत है कि श्री. शक्ति लाल
शिवीक्षक मुंगगा भी नलंत सिंह

उक्त पक्ष
(सहायक कलक्टर)
पेश्यावली
W. Seetha
(वकील वादी)

सहायक कलक्टर
शिव
(प्रतिवादी के 3 अधिवक्ता)

पुस्तक संख्या 211
पृष्ठ संख्या 10
दिनांक 10/11/20

पुस्तक पर जाकर पंजीकृत करके
बारीगण का खेत (क. न. 228/52 रकबा
50 बीघा के सैदे कायम कर देवे।
बाद सैदे कायम के प्रतिबारीगण
बारीगण की खाने दारी भूमि में
दखलदानी नहीं करगे। इतिरह
बारीगण बाद सैदे कायम के
यदि प्रतिबारी गण का निर्माण
खाने दारी भूमि (बारी की) से बाहर
होता है तो बारी प्रतिबारीगण
के निर्माण में कोई दखलदानी नहीं करगे।

अतः श्री गणेश सिंह पु. क. भूगा को
बारीगण के खेत (क. न. 228/52 रकबा
50 बीघा की पंजीकृत कर सैदे कायम
करने के लिये अधिकृत कर कोशिश
नियुक्त किया जाता है।

बारीगण का गद व प्रतिबारीगण का
प्रतिबारा स्वीकार कर उभयपक्ष को इस
आदेश की तथ्यातिपेक्षाज्ञा से बाबतु किया
जाता है कि उभयपक्ष एक-दूसरे के रकबा
काशन एवं निर्माण में बाध पंजीकृत सैदे कायम
परन्तु किसी प्रकार से दखलदानी नहीं
करगे। मांग की अधाधिकृत बनाये रखे।

बाद फौजदार शेरशाह खंवर से कर
होकर राखिल दफ्तार हो।

तिसीय दिनांक दि. 6-6-18 वसुधाम
सैन्य कौपल माला मजदरे काम में
हुआया गया।



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) जिला